

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-18/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० रानी सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैशाली (सम्प्रति प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, वैशाली) द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक- 21.08.2024 से 22.09.2024 तक कुल-33 (तींतीस) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक- 01 12 2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-18/2025- 267/2 /स्वा०, पटना, दिनांक 21/08/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/अधीक्षक, सदर अस्पताल, वैशाली/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/ डा० रानी सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वैशाली (सम्प्रति प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, वैशाली) को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।